

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्राथी /अपीलांट

बनाम

अप्राथी /रेस्पोडेन्ट

श्री नितिन जैन
निवासी बगीचा कॉलोनी आबूरोड
तहसील आबूरोड
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 43 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.03.2026	<p>अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 31.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अमरनाथा ढाबा मावल के सामने, प्रताप होटल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर मुख्य मार्ग पर संचालित बायोडीजल(B-100) विक्रय इकाई से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या एक से नौ से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 31.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अमरनाथा ढाबा मावल के सामने, प्रताप होटल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर मुख्य मार्ग पर संचालित बायोडीजल(B-100) विक्रय इकाई से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या एक से नौ से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सु.अ./रेकर्ड/2026/68 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही के स्तर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही